

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 472/2025

प्रार्थी :-

1. कंचन चौधरी पुत्री स्व. भूण्डाराम पत्नी मोहन राम जाति जाट निवासी
ग्राम बरना हालनिवास पावडियों का बास ग्राम हरियाडा तहसील
बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसील बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,88 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपरिस्थिति :- प्रार्थी - श्री गजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 1- सरकारी पैरोकार

निर्णय

दिनांक :- 28/01/26

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बरना, पटवार हल्का वरना, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरना, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारीसुदा, संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.9304 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1435 रकबा 1.2944 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1452 रकबा 0.5582 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1453 रकबा 0.7928 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1456 रकबा 2.1115 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1457 रकबा 2.2490 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1458 रकबा 2.6131 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.3964 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.6229 हैक्टेयर कुल खसरा 9 कुल रकबा 11.5687 हैक्टेयर आई हुई है। जो राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 413 व पुराने 303 पर प्रार्थीया के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें प्रार्थीया का 3/32 व० हिस्सा निहित व दर्ज है। सबूत के तौर पर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि शएश से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बरना, पटवार हल्का बरना, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरना, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारीसुदा, संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1412 रकबा 2.5160 हैक्टेयर आई हुई है। जो राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 449 व पुराने 325 पर प्रार्थीया के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें प्रार्थीया का 5/24 व० हिस्सा निहित व दर्ज है। सबूत के तौर पर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि बी से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बरना, पटवार हल्का बरना, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरना, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारीसुदा, संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 808



हायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

रकबा 0.9951 हैक्टियर आई हुई है। जो राज्य रेकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 412 व पुराने 302 पर प्रार्थीया के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें प्रार्थीया का 5/96 व० हिस्सा निहित व दर्ज है। सबूत के तौर पर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि सी से सम्बोधित किया जायेगा। राज्य ग्राम बरना, पटवार हल्का बरना, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरना, तहसील खिलाड़ा, जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारीसुदा, संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1208 रकबा 0.3317 हैक्टियर, खसरा नम्बर 1209 रकबा 0.6229 हैक्टियर, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.6068 हैक्टियर, खसरा नम्बर 1232 रकबा 0.8333 हैक्टियर, खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.4854 हैक्टियर, खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.7443 हैक्टियर, खसरा नम्बर 1240 रकबा 1.1002 हैक्टियर, खसरा नम्बर 1243 रकबा 1.2135 हैक्टियर, खसरा नम्बर 1246 रकबा 0.7847 हैक्टियर कुल खसरा 9 कुल रकबा 6.7228 हैक्टियर आई हुई है। जो राज्य रेकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 414 व पुराने 304 पर प्रार्थीया के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें प्रार्थीया का 1/48 व० हिस्सा निहित व दर्ज है। सबूत के तौर पर जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि डी से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 4 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी डी के सम्बंध में खातेदार का नाम राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज करते समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थीया का नाम कंचन चौधरी के स्थान पर कंचन दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम कंचन चौधरी है। जिसके सबूत के तौर पर प्रार्थीया के बी.ए. अन्तिम वर्ष की अंक तालिका, कक्षा 10 वी की अंक तालिका, आधारकार्ड, पैनकार्ड, परिवार राशनकार्ड, वोटर इन्फॉर्मेशन की प्रतियों साथ संलग्न पेश है। जिसमें प्रार्थीया का सही नाम कंचन चौधरी दर्ज है। प्रार्थीया का नाम राज्य रेकॉर्ड कंचन चौधरी के स्थान पर कंचन दर्ज करते समय हल्का पटवारी द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेजों की जाँच नहीं की गयी वन ही प्रार्थीया को सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया गया। इसलिए प्रार्थीया को वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी डी के राज्य रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज अपना गलत नाम कंचन के स्थान पर सही नाम कंचन चौधरी दर्ज करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रार्थीया को अपनी भूमि पर सुधार कार्य व अपनी घरेलु आवश्यकता हेतु रुपयों की आवश्यकता होने से ऋण प्राप्ति हेतु वर्तमान जमाबन्दी की प्रतिलिपि लेने हेतु हल्का पटवारी के पास गयी तथा हल्का पटवारी से राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की तो प्रार्थीया को जानकारी में आया कि प्रार्थीया का नाम कंचन चौधरी के स्थान पर वादग्रस्त कृषि भूमि शबीश शशीश शडी के राज्य रेकॉर्ड जमाबन्दी में कंचन दर्ज है जिस पर प्रार्थीया ने अप्रार्थी को राज्य रेकॉर्ड व अपने सरकारी दस्तावेजों की फोटो प्रतियों दी उपरोक्तानुसार नाम शुद्ध करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थीया को यह कहते हुए नाम शुद्ध करने से मना कर दिया कि इस हेतु



कलेक्टर
जोधपुर जिला

माननीय न्यायालय सक्षम है। प्रार्थीया का राजस्व रेकॉर्ड में उक्त गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थीया उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई ऋण वगैरा नहीं ले सकती है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी डी के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज गलत नाम कंचन के स्थान पर प्रार्थीया का उसके सरकारी दस्तावेज अनुसार सही नाम कंचन चौधरी दर्ज किये जाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 4 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि ए बी सी डी खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.9304 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1435 रकबा 1.2944 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1452 रकबा 0.5582 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1453 रकबा 0.7928 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1456 रकबा 2.1115 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1457 रकबा 2.2490 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1458 रकबा 2.6131 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.3964 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.6229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1412 रकबा 2.5160 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 808 रकबा 0.9951 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1208 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1209 रकबा 0.6229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.6068 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1232 रकबा 0.8333 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.7443 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1240 रकबा 1.1002 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1243 रकबा 1.2135 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1246 रकबा 0.7847 हैक्टेयर वाके ग्राम बरना, तहसील बिलाड़ा के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थीया का गलत नाम कंचन के स्थान पर प्रार्थीया के सरकारी दस्तावेज अनुसार उसका सही नाम कंचन चौधरी दर्ज किये जाने का आदेश अप्रार्थी को जारी फरमाया जावे।




प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बरना के राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076-2079 में खाता सं. 413, 414, 412, 449 में खातेदार कंचन पुत्री भूण्डाराम जाति जाट सा.देह खातेदार रेकॉर्ड में दर्ज है। ग्राम बरना के राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरकरण सं. 2458, 2457, 2456 जरिये विरासत सायरी पत्नी पूनाराम के फौत हो जाने से कमला देवी, पानीदेवी पुत्री पूनाराम, गीता पत्नी भूण्डाराम, कंचन पुत्री भूण्डाराम वगैरा जमाबंदी बदस्तुर दर्ज हुआ। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, एक कलक्टर राशनकार्ड, 10वीं की अंकतालिका वोटर आईडी में प्रार्थी का नाम कंचन चौधरी दर्ज है।

बिलाड़ा

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, वादी अधिवक्ता ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराया और वादपत्र स्वीकार कर रेकॉर्ड दुरुस्ती का निवेदन किया। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को दोहराया और दुरुस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत्

2074-2077 के खाता सं. 449, खाता सं. 412, खाता सं. 413 व खाता सं. 414 में वादीया का नाम कंचन पुत्री भुण्डाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, 10वीं कक्षा की अंकतालिका, पहचान पत्र में वादीया का नाम कंचन चौधरी दर्ज है। हस्तगत प्रकरण में खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.9304 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1435 रकबा 1.2944 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1452 रकबा 0.5582 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1453 रकबा 0.7928 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1456 रकबा 2.1115 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1457 रकबा 2.2490 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1458 रकबा 2.6131 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.3964 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.6229 हैक्टेयर पूर्व में खातेदार सायरी देवी पत्नी पूनाराम के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में सहखातेदार के रूप में इन्द्राज थी खातेदार सायरी देवी पत्नी पूनाराम के फौत होने पर कमलादेवी, पानीदेवी पुत्री पूनाराम, गीतादेवी पत्नी भूण्डाराम व कंचन पुत्री भूण्डाराम का नाम राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज हुआ जिसकी पुष्टि नामा.सं. 2456 से की गई। इसी प्रकार खसरा नंबर 1208 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1209 रकबा 0.6229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.6068 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1232 रकबा 0.8333 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.7443 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1240 रकबा 1.1002 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1243 रकबा 1.2135 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1246 रकबा 0.7847 हैक्टेयर में पूर्व में खातेदार सायरी देवी पत्नी पूनाराम के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में सहखातेदार के रूप में इन्द्राज थी खातेदार सायरी देवी पत्नी पूनाराम के फौत होने पर कमलादेवी, पानीदेवी पुत्री पूनाराम, गीतादेवी पत्नी भूण्डाराम व कंचन पुत्री भूण्डाराम का नाम राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज हुआ जिसकी पुष्टि नामा.सं. 2457 से की गई। इसी प्रकार खसरा नंबर 1412 रकबा 2.5160 हैक्टेयर में पूर्व में खातेदार सायरी देवी पत्नी पूनाराम के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में सहखातेदार के रूप में इन्द्राज थी खातेदार सायरी देवी पत्नी पूनाराम के फौत होने पर कमलादेवी, पानीदेवी पुत्री पूनाराम, गीतादेवी पत्नी भूण्डाराम व कंचन पुत्री भूण्डाराम का नाम राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज हुआ जिसकी पुष्टि नामा.सं. 2458 से की गई। अतः उपरोक्त दस्तावेजात नामा. सं. 2458, 2557 व 2456 से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादीया का नाम राजस्व रेकॉर्ड में जरिये विरासत इन्द्राज हुआ। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त किया जाना उचित है। इसलिए वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम बरना के खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.9304 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1435 रकबा 1.2944 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1452 रकबा 0.5582 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1453 रकबा 0.7928 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1456 रकबा 2.1115 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1457 रकबा 2.2490 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1458 रकबा 2.6131 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.3964 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.6229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1412 रकबा 2.5160 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 808 रकबा 0.9951 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1208 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1209 रकबा 0.6229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.6068 हैक्टेयर, खसरा



कलक्टर
अधिकारी
ग्राहक

नम्बर 1232 रकबा 0.8333 हैक्टियर, खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.4854 हैक्टियर, खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.7443 हैक्टियर, खसरा नम्बर 1240 रकबा 1.1002 हैक्टियर, खसरा नम्बर 1243 रकबा 1.2135 हैक्टियर, खसरा नम्बर 1246 रकबा 0.7847 हैक्टियर में कंचन पुत्री भुण्डाराम के स्थान पर कंचन चौधरी पुत्री भुण्डाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राज्य रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(Signature)
 (मृदुला शेखावत)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28/01/20 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



(Signature)
 (मृदुला शेखावत)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 बिलाड़ा

**अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्दादाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्दा दीयानी)**

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मूदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीया :-
कंचन चौधरी

बनाम

प्रतिवादी :-
सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व वाद संख्या :- 472/2025

निर्णय

दिनांक :- 28/01/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री गजेन्द्रसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददाई, प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम बरना के खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.9304 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1435 रकबा 1.2944 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1452 रकबा 0.5582 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1453 रकबा 0.7928 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1456 रकबा 2.1115 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1457 रकबा 2.2490 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1458 रकबा 2.6131 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.3964 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.6229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1412 रकबा 2.5160 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 808 रकबा 0.9951 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1208 रकबा 0.3317 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1209 रकबा 0.6229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.6068 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1232 रकबा 0.8333 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.4854 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1235 रकबा 0.7443 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1240 रकबा 1.1002 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1243 रकबा 1.2135 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1246 रकबा 0.7847 हैक्टेयर में कंचन पुत्री भुण्डाराम के स्थान पर कंचन चौधरी पुत्री भुण्डाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



M. J. Ch
(मूदुला शेखावत)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

बाबत बिलाड़ा-

तीज

मुबलिंग

खर्चा इस मुकदमे के कसूर शेरह - सालाना आज की तारीख में तारीख
वसूलयाबी तक -की अदा करे। बवक्ते मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज
तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रुपया	पैसे	मुदायराह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।



M. J. Ch
(मूदुला शेखावत)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा